(वाद संख्या–5128/17)

16.10.2019

परिवादी, विमला देवी उर्फ विजोला देवी, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला परिवादी द्वारा अपने भैसुर सच्चिदानन्द साह व अपनी गोतनी के विरूद्ध, संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का बंटवारा करने के उद्देष्य से, उभय पक्ष द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध संस्थित किये गये आपराधिक मामले में पुलिस द्वारा पक्षपात किये जाने से संबंधित है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में परिवादी द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति को बंटवारा हेतु, अपने पति के साथ मिलकर, अपने ससुर दीप नारायण साह तथा सास उमा देवी के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं 498ए/34 के अंतर्गत जी0आर0 संख्या–772/96 संस्थित किया गया था। परिवादी की सास, ससुर व भैंसुर द्वारा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के बंटवारा का आष्वासन दिये जाने के उपरान्त परिवादी द्वारा उक्त मामले में सुलहनामा दाखिल कर दिया गया तथा सुलहनामा के आधार पर उसके सास तथा ससुर को न्यायालय द्वारा उन्मोचित कर दिया गया। तत्पष्चात् परिवादी के सास, ससुर व भैंसुर वगैरह द्वारा परिवादी व उसके पति को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में **उचित हिस्सा** नहीं दिये जाने के कारण परिवादी द्वारा अपनी भैसुर व गोतनी के विरूद्ध भा0द0स0 की धाराओं 341/323/504/34 के अन्तर्गत सबौर थाना कांड सं0–159/2012 संस्थित किया गया, जो अभी न्यायालय में विचारण हेतु लंबित है। परिवादी का कथन है कि उसके भैंसुर वगैरह द्वारा भी उसके तथा उसके पति के विरूद्ध एक आपराधिक मामला संस्थित किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रस्तुत मामला संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के बंटवारा से संबंधित है। आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन विषय में कोई आदेष/निर्देष दिया जाना उचित नहीं होगा। परिवादी सक्षम न्यायालय से अपने पति के संयुक्त परिवार के सम्पत्ति के बंटवारा हेतु अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है। तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक